संख्या-41/2018/1182जेएल/22-3-18-200(1)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18384/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 21-05-2018 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 10 सिद्धदोष बंदियों **(सूची संलग्न)** के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से एक साथ मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अर्न्तगत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्हीं बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात जिनके द्वारा हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

VIII. **<u>बंदियों को अनिवार्य रूप से एक साथ गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। ऐसा न करने पर शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।</u>**

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हों, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जायं।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-41/2018/1182जेएल(1)/22-3-18-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बंदियों की सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18384/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 21-05-2018 के संदर्भ में।
3- गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या:41/2018/1182जेएल/22-3-18-200(1)/2018, दिनांक: 18 जून, 2018 का संलग्नक

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	राशिद पुत्र श्री आशिक	लखीमपुर खीरी	14629
2	सगीर पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14632
3	शरीफ पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14630
4	मंगल उर्फ जहीर पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14617
5	लाखन पुत्र श्री जब्बर	हरदोई	15103
6	गोपी पुत्र श्री तौले	लखीमपुर खीरी	14922
7	प्रकाश लोध पुत्र श्री श्रीराम	लखीमपुर खीरी	15543
8	श्यामसुन्दर पुत्र श्री बाबूराम	बदायूँ	17025
9	मनोज कुमार पुत्र श्री रामपाल	बागपत	17131
10	महेश पुत्र श्री रामकुंवर	जे0पी0नगर	14898

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।